पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र०
(राज्यपाल सूचना परिसर)

———

राज्यपाल जी को प्रदेश के लोकायुक्त ने लोकायुक्त प्रशासन का वर्श 2020 वार्शिक प्रतिवेदन सौंपा

————————

लखनऊः 13 सितम्बर, 2021

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने मिलकर लोकायुक्त प्रशासन का वर्ष 2020 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा।

लोकायुक्त ने राज्यपाल जी को अवगत कराया कि वर्ष 2020 में उन्हें कुल 2004 परिवाद तथा पूर्व से लम्बित 1491 परिवाद प्राप्त हुए थे। इन कुल 3495 परिवादों में से वर्ष 2020 में कुल परिवाद 1788 निस्तारित, 1475 प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारित तथा 313 अन्वेषण के बाद निस्तारित किए गए। उन्होंने राज्यपाल जी को जानकारी दी कि 31 दिसम्बर 2020 तक 1707 परिवाद लम्बित थे, जिन पर कार्यवाही प्रचलित है।

राज्यपाल जी ने लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा से गलत शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी ली। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने इस संदर्भ में कार्यवाही और दण्ड विधान की जानकारी देने के साथ–साथ ये भी अवगत कराया कि जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है, उसे भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है।

लोकायुक्त ने राज्यपाल जी को बताया कि कोरोना महामारी के कारण लोकायुक्त संगठन के सम्बन्ध में न्यून स्तर पर जन–जागरूकता कार्यक्रम किए जा सके, विद्यार्थियों में जानकारी का प्रसार किया जा रहा है।

राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन को आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जायेगा।

इस अवसर पर लोकायुक्त प्रशासन से उप लोकायुक्त शम्भू सिंह यादव, उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह, उप लोकायुक्त सुरेन्द्र कुमार यादव, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, मुख्य अन्वेषण अधिकारी अपूर्व सिंह, संयुक्त सचिव राजेश कुमार एवं राज्यपाल के अपर विधि परामर्शी श्री कामेश शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

————————

(राजभवन 37 / 15)